समाहरणालय, मधेपुरा।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

:– आदेश :–

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 06/आ0प्र0, दिनांक 23.04.2015 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत –उपमुख्य शीर्ष 02– बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–101– आनुग्रहिक राहत – उप शीर्ष – 0002 – खाद्यान्न की आपूर्ति, विपत्र कोड एन0 – 2245021010002 मद में मो0 – 60,00,000/– (साठ लाख) रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन जिला नजारत उप समाहर्ता को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नाकिंत शर्त्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय/पदाधिकारी को उपावंटित किया जाता है :–

क0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में प्राप्त आवंटन	वर्तमान में प्राप्त आवंटन	कुल उपावंटित राशि
1	जिला नजारत ,उप–समाहर्ता,मधेपुरा	शुन्य	60,00,000/–	60,00,000/–
	कुल योग :–		60,00,000/–	60,00,000/–

उपावंटन की भार्ते :–

(1) यह आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 20.04.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही संख्या 04 में लिए गए निर्णय के आलोक में बाढ़ प्रवण जिलों को बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु निर्गत किया जा रहा है।इस राशि का उपयोग आवश्यकता अनुसार चक्रवात के मद्देनजर भी किया जा सकता है।

(2) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है ।

(3) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष 02– बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष 101– आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष – 0002 – खाद्यान्न की आपूर्ति, मांग संख्या –39 यूनिट कोड–21 03– आहार/पथ्य मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(4) संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

(5) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर, के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है । किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवारी होगें। व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन कार्यालय, मधेपुरा को भी दी जाय।

(6) उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें।

(7) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

(8) आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully vouched bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय अग्रीम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 116 आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 25.4.15 /

प्रतिलिपि :– सभी अंचलाधिकारी, SDO, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।निदेश दिया जाता है कि आवश्यकता के अनुरूप एस.एफ.सी से खाद्यान्न की अधियाचना करते हुए उठाव करें तथा उसकी सूचना आपदा प्रबंधन शाखा / जिला नजारत शाखा को दें ताकि उसके अनुरूप भुगतान किया जा सके । प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप–समाहर्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप–समाहर्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम , मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा/ विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ प्रेषित।

25/04/15

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।